(2008) 1 एस.सी.आर 1

कलियम्मा एवं अन्य

बनाम

डिप्टी कमिश्नर जिला चित्रदुर्ग एवं अन्य

सिविल अपील नंबर 7875-76/2001

जनवरी 3, 2008

(डॉ. अरिजित पसायत और पी. सथाशिवम, जे.जे.)

कर्नाटक भूमि राजस्व संहिताः

भूमि का अनुदान- गैर हस्तान्तरणीय अवधि के दौरान भूमि का हस्तान्तरण करने वाला अनुदेयी-निर्णित किया गयाः अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सही अभिनिर्धारित किया गया कि भूमि सरकार में निहित हो गई- कर्नाटका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमियों के हस्तान्तरण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1979।

विवादित भूमि, क्षेत्रफल 8 एकड़, संयुक्त परिवार के दो भाईयों 'एल' और 'आर' के पक्ष में वर्ष 1957 में अनुदान की गई। कालान्तर में उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति 'टी' को वर्ष 1965 और 1966 में विक्रीत कर दी गई। उक्त अन्तरिती द्वारा भूमि अपीलार्थीगण के पूर्ववर्ती हितधारियों को वर्ष 1981 में हस्तान्तरित कर दी गई। इसी दौरान कर्नाटका अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमियों के हस्तान्तरण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1979 प्रवृत्त हुआ एवं मूल अनुदेयी के उत्तराधिकारियों 'एन' और 'आर' द्वारा वाद की विवादित भूमि के विक्रय को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने हेतु एवं कब्जा की पुर्नस्थापना हेतु आवेदन किया गया। सहायक आयुक्त ने उनके विरूद्ध फैसला सुनाया। उनके द्वारा उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई। जिसके द्वारा अपील स्वीकार की गई। अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट पिटीशन और रिट अपील उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर वर्तमान अपील दायर की गई।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया किः अपील प्राधिकारी के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि अनुदान राजस्व संहिता के तहत 1957 में प्रदत्त किया गया था एवं अनुदेयी के संबंध में कब्जे का अधिकार परिसीमित था, क्योंकि भूमि को दस वर्षों तक हस्तान्तरण न करने की शर्त विद्यमान थी एवं क्योंकि भूमि गैर-हस्तान्तरणीय अवधि के दौरान हस्तान्तरित की गई थी। भूमि सरकार में निहित हो गई। अपील गुणहीन है, अतः खारिज की गई है।

गुन्टईया और अन्य बनाम हम्बाम्मा और अन्य (2005) 6 SCC 228- निर्भर किया गया।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 7875-7876/2001.

अंतिम निर्णय एवं आदेश कर्नाटका उच्च न्यायालय बैंगलौर दिनांकित 04.04.2000 एवं 01.12.2000 क्रमशः रिट अपील 7705/1999 एवं पुर्नविचार याचिका 1997/2000 से।

शांता कुमार महाले, राजेश महाले एवं पी. नरसिम्हा अपीलार्थियों की ओर से।

डी.एन. गोर्वधन, पिंकी आनन्द, संजय आर. हेगडे एवं अमित केआर. चावला प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय डॉ. अरिजित पसायत, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. इस अपील में कर्नाटका उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा कर्नाटका उच्च न्यायालय अधिनियम, 1979 (संक्षेप में हाईकोर्ट अधिनियम) की धारा 4 के तहत खारिज की गई रिट अपील में किये गये निर्णय को चुनौती दी गई। इस अपील में विद्वान एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी गई।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार है किः-

सर्वेक्षण संख्या 59 में आठ एकड भूमि दो व्यक्तियाेें करियप्पा के बेटों नागप्पा एवं रंगप्पा को दी गई थी। अपीलार्थियों के अनुसार उक्त नागप्पा और नंगप्पा ने बुढप्पा के साथ संयुक्त परिवार का गठन किया और विभाजन में आठ एकड संयुक्त परिवार की भूमि में से पॉच एकड नागप्पा और तीन एकड बुढप्पा को दी गई। बुढप्पा ने तीन एकड भूमि

थिप्प्रीरन्ना को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांकित 03.02.1965 के माध्यम से बेच दी और नागप्पा की शेष पॉच एकड भूमि विक्रेता द्वारा न्यायालय की नीलामी में 15.08.1966 को प्राप्त कर ली गई। उपरोक्त थिप्प्रीरन्ना ने उक्त आठ एकड भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांकित 23.02.1981 के तहत देवराज को विक्रय कर दी। वर्तमान अपीलकर्ता उसके कानूनी उत्तराधिकारी है। दिनांक 01.01.1979 को कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटका उच्च न्यायालय अधिनियम, 1979 (संक्षेप में हाईकोर्ट अधिनियम) लागू हुआ। रंगास्वामी द्वारा अनुदेयी रंगप्पा का पुत्र होने का दावा करते हुए एवं सन्ना करियम्मा द्वारा नागप्पा का विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए उक्त विक्रय को अवैध एवं शुन्य घोषित करवाने हेतु एवं क्रेता से कब्जे की पुर्नस्थापना हेतु सहायक आयुक्त चित्रदुर्ग उपखण्ड़ के समक्ष आवेदन किया गया।

उक्त आवेदनों को एक साथ संयोजित किया गया एवं जॉच की गई। सहायक आयुक्त ने निष्कर्ष दिया कि अनुदान सामान्य श्रेणी के पक्ष में था एवं प्रारूप 1 में था एवं जब यह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पक्ष में होता है तब यह प्रारूप 2 मे होता है।

3. अपीलार्थीगण का यह आधार था कि अनुदान प्रारूप 1 में दिया गया था, इसलिये भूमि दलित वर्ग श्रेणी की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती है एवं सामान्य श्रेणी में आती है एवं यह तर्क किया कि चूंकि वे

अधिनियम लागू होने की तारीख से 12 साल से अधिक समय से कब्जे में थे, अतः उन्होंने प्रतिकूल कब्जा के तहत हक प्राप्त कर लिया। अनुदेयी के कानूनी प्रतिनिधि ने उपायुक्त के समक्ष अधिनियम की धारा 5ए के तहत अपील दायर की। उक्त प्राधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुए और सहायक आयुक्त के आदेश को अपास्त कर निर्णित किया कि उक्त मामलों में अनुदान 1957 के दौरान भूमि राजस्व संहिता के तहत किया गया है एवं अनुदेयी के संबंध में कब्जे के उपभोग का अधिकार परिसीमित है। यह भी पाया गया कि विवादित भूमि को दस वर्ष तक हस्तान्तरित न करने की शर्त थी। उक्त मामलांे में हस्तान्तरण उक्त दस वर्ष की अवधि के समाप्त होने के काफी पूर्व किया गया था, क्योंकि भूमि गैरहस्तान्तणीय अवधि के दौरान हस्तान्तरित की गई थी, अतः भूमि सरकार में निहित हो गई। यह भी पाया गया कि अवधि 30 वर्ष की होगी, न कि 12 वर्ष की जैसा कि दावा किया गया।

4. मामले को अपीलार्थीगण द्वारा एकल न्यायपीठ के समक्ष चुनौती दी गई, जिनके द्वारा रिट याचिका को खारिज किया गया परंतु अन्य तथ्यों के साथ निम्न निर्देश दिये गयेः-

‘‘क्या उत्तरदाता दो और तीन या तो पुत्र या दत्तक पुत्र या किसी अन्य रूप में अनुदेयी के उत्तराधिकारी रहे हैं। यह प्रश्न सहायक आयुक्त द्वारा निर्णित होना शेष है, जब उन्हें अनुदेयी या उसके उत्तराधिकारियों

को भूमि को अपीलीय आदेश के तहत बहाल करना है। कब्जे के वस्तुतः परिदान और बहाली से पूर्व सहायक आयुक्त को उक्त प्रश्न की जॉच करनी चाहिये एवं यदि अनुदेयी या उसके उत्तराधिकारी कब्जे में पाये जाते हैं तो उन्हें कब्जा बहाल करना होगा और यदि धारा 5(1)(बी) के तहत अनुदेयी या उसके उत्तराधिकारियों को कब्जा बहाली व्यवहारिक एवं संभव नहीं है तो सरकार में निहित हो जायेगी।"

5. उक्त मामला रिट अपील मंे उठाया गया। जैसा कि उपर विदित है कि उक्त को विवाद्य आदेश के तहत खारिज किया गया।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष यह पक्ष रखा गया कि भूमि गैर दलित वर्ग के तहत प्रदत्त की गई थी एवं इसलिए प्रतिकूल कब्जे के दावे हेतु 12 वर्ष का समय है।

7. दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय एवं उपायुक्त द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया गया। जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थीगण प्रथम क्रेता नहीं है, वस्तुतः द्वितीय क्रेता है एवं प्रारूप 1 एवं प्रारूप 2 दोनों में ही गैर हस्तान्तरणीय अवधि समान है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर अपील गुणयुक्त नहीं है। समान बिषय न्यायालय के समक्ष गुन्टईया एवं अन्य बनाम हम्बम्मा एवं

अन्य 2005(6) एससीसी 228 में आया था। उक्त निर्णय के पैरा 8 में अन्य तथ्यों के साथ निष्कर्ष दिया गया कि:

''कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ का यह निष्कर्ष है किः- यदि अनुदान नियम 43-जे के तहत दिया गया है तो हस्तान्तरण को प्रतिबंधित करने वाली शर्त नहीं हो सकती थी और यदि ऐसी कोई शर्त थी तो वह शुन्य व अमान्य है। यह निष्कर्ष इस आधार पर लिया गया कि हस्तान्तरण को प्रतिबंधित करने वाली शर्त नियम 43-जी के खण्ड (4) के तहत दी गई हैं और यह प्रावधान पूर्ववर्ती नियमों के तहत अनुदान की गई भूमि पर लागू होते हैं एवं नियम 43-जे पर लागू नहीं होते, जो कि नियम 43-जी के उपरांत अस्तित्व में आये। यह निष्कर्ष नियम 43-जी के शीर्षक/पार्श्व टिप्पणी के आधार पर लिया गया। पूर्ण पीठ का यह भी निष्कर्ष था कि नियम 43-जे के तहत यह नहीं कहा गया है कि हस्तान्तरण को प्रतिबंधित करने वाली शर्त होगी, इसीलिये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राधिकारी उक्त शर्त अधिरोपित करने हेतु सशक्त नहीं है।''

उपर जो विदित किया गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि अपीलें गुणहीन है एवं खारिज किये जाने योग्य है। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं है।

अपीलें खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संजीव कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।